

GS WORLD

GS WORLD

GS WORLD

## चर्चा में क्यों?

ऑक्सीटोसिन के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

ऑक्सीटोसिन फॉर्मूलेशन को नियमन और रोकने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में केवल पंजीकृत अस्पतालों और क्लीनिकों को ही आपूर्ति की जा सकती है।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीटोसिन के आयात पर बैन लगा दिया गया है।

कर्नाटक एंटी बायोटेक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), इस दवा का निर्माण करता रहेगा। अन्य सभी कंपनियों के लिए इसका निर्माण बैन है।

GS WORLD

GS WORLD

## हानि

इसके ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर और हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है।

ऑक्सीटोसिन देकर निकाले गए दूध या इससे बड़ी की गई सब्जियों के इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इससे साँस लेने में दिक्कत आ सकती है।

लगातार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग कर निकाले गए दूध को पीने से छोटे बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन और लड़कियों में किशोरावस्था जल्दी शुरू हो सकती है।

ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग के कारण दुधारू पशुओं में बाँझपन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बिना किसी तैयारी और विकल्प के कैसे सरकार ने इसके इस्तेमाल, इंपोर्ट और मैनुफ्रेक्चरिंग पर रोक लगा दी और क्या एक कंपनी बाजार की मांग पूरी कर पाएगी।

**नोट:-**  
हालांकि, इस पर प्रतिबंध लगने से आने वाले दिनों में अस्पतालों में ऑक्सीटोसिन की काफी कमी देखने को मिल सकती है और इसकी काला बाजारी भी बढ़ सकती है।

GS WORLD

## ऑक्सीटोसिन

## पृष्ठभूमि

मार्च, 2016 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऑक्सीटोसिन के निर्माण को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक सीमित करने का आदेश दिया था।

जिन कंपनियों ने पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, उन्हें इस दवा का निर्माण न करने के निर्देश भी दिये गये थे।

भारत सरकार ने 2014 में इसकी खुदरा बिक्री रोक दी थी।

GS WORLD

## एक नजर में...

## लाभ

धारा 26 ए के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय दिये जाने के कारण ऑक्सीटोसिन की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

साथ ही प्रसव के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिये भी उपयोग किया जाता है।

यह हार्मोन गर्भवती महिलाओं एवं पशुओं दोनों को प्रसव के समय पर दिया जाता है, ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए।

GS WORLD

## क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

दुधारू जानवरों से ज्यादा और जल्दी दूध निकालने के लिये किया जाने वाला इसका प्रयोग अवैध उपयोग के दायरे में आता है।

कुछ डेयरी मालिकों और किसानों द्वारा दूध उत्पादन और सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए इसका अत्यधिक इस्तेमाल किए जाने के मामले प्रकाश में आए थे।

इसकी रोकथाम के लिये ही क्रूरता एक्ट के तहत पशुपालन विभाग की शिकायत पर कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड ड्रग अथॉरिटी (एफएसडीए) स्तर पर होती है।

हालांकि, इसकी अवैध बिक्री को रोकने के प्रयास में सीमित सफलता ही मिली है और इसकी आयात की मात्रा स्पष्ट नहीं है।

## क्या है?

यह एक हार्मोन है जो मस्तिष्क में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है।

पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने से दो कार्यो को नियंत्रित करती है: चाइल्डबर्थ और ब्रेस्ट-फीडिंग।

मनुष्य के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण आक्सीटोसिन को प्यारा हार्मोन व आनंद हार्मोन आदि नामों से भी जाना जाता है।

यह हार्मोन और मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में कार्य करता है।

GS WORLD